

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 69/2018

अनवान :

1. विकास पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

- वादी

बनाम

1. दयाराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण



आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के वर्तमान खाता सं० 26/22 के खसरा सं० 728 की 6.755 है० बारानी व खसरा सं० 738 की 7.704 है० बारानी कुल 14.459 है० बारानी कृषि भूमि में 1/24 हिस्सा प्रतिवादी दयाराम के नाम खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार रोही मौजा भाडी के वर्तमान खाता सं० 55/49 के खसरा सं० 64 की 1.518 है०, खसरा सं० 69 की 1.126 है० खसरा सं० 328 की 2.834 है० खसरा सं० 522 की 3.770 है० खसरा सं० 568 की 1.265 है० खसरा सं० 630 की 7.337 है० खसरा सं० 640 की 6.451 है० कुल किता 7 की 24.301 है० बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी दयाराम के नाम 2.884 है० में 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा भाडी के वर्तमान खाता सं० 67/60 के खसरा सं० 126 की 10.436 है०, खसरा सं० 127 की 0.531 है०, खसरा सं० 195 की 2.277 है० खसरा सं० 196 की 7.641 है० खसरा सं० 425 की 3.757 है०, खसरा सं० 477 की 4.782 है० कुल किता 6 की 29.424 है० बारानी कृषि भूमि खातेदारी प्रतिवादी दयाराम के नाम से 1/12 हिस्सा खातेदारी दर्ज है मैं अलेके प्रतिवादी सं० 1 दयाराम के बजाय वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 दोनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2/11/18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)

सहायक कलक्टर A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 69/2018

अनवान :

1. विकास पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

- वादी

बनाम

1. दयाराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज० काश्त० अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद पूनियां : वादी

निर्णय

दिनांक : 2.11.18



संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भाडी के वर्तमान खाता सं० 26/22 के खसरा सं० 728 की 6.755 है० बारानी व खसरा सं० 738 की 7.704 है० बारानी कुल 14.459 है० बारानी कृषि भूमि में 1/24 हिस्सा प्रतिवादी दयाराम के नाम खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार रोही मौजा भाडी के वर्तमान खाता सं० 55/49 के खसरा सं० 64 की 1.518 है०, खसरा सं० 69 की 1.126 है० खसरा सं० 328 की 2.834 है० खसरा सं० 522 की 3.770 है० खसरा सं० 568 की 1.265 है० खसरा सं० 630 की 7.337 है० खसरा सं० 640 की 6.451 है० कुल किता 7 की 24.301 है० बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी दयाराम के नाम 2.884 है० में 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा भाडी के वर्तमान खाता सं० 67/60 के खसरा सं० 126 की 10.436 है०, खसरा सं० 127 की 0.531 है०, खसरा सं० 195 की 2.277 है० खसरा सं० 196 की 7.641 है० खसरा सं० 425 की 3.757 है०, खसरा सं० 477 की 4.782 है० कुल किता 6 की 29.424 है० बारानी कृषि भूमि खातेदारी प्रतिवादी दयाराम के नाम से 1/12 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

उक्त वाद भूमि वादी पहले वादी के दादा अमीलाल वल्द हरद्वारी की खातेदारी हुआ करती थी अमीलाल के देहान्त होने पर उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 दयाराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन प्राप्त हुई थी परन्तु विरासतन ईन्तकाल कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा प्रतिवादी सं० 1 दयाराम ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया इस प्रकार उक्त भूमि वादी की दादालाई होने के कारण उसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वाद भूमि तन्हा दयाराम के नाम दर्ज होने के चलते बिना किसी पारिवारिक जायज जरूरत के वादभूमि को प्रतिवादी दयाराम खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है ऐसे में वादी

Rw
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है कि वे वादभूमि को आगे रहन बेय या दिगर तरीके से हस्तान्तरण नहीं करे।


वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 2 को वकील वादी ने तर्क किया।

साक्ष्य वादी में वादी विकास के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य फोटो प्रति जमाबन्दी ग्राम भाडी खाता सं० 26/22 सम्वत् 2071-74 प्रदर्श 1, सत्य फोटो प्रति जमाबन्दी ग्राम भाडी खाता सं० 55/49 सम्वत् 2071-74 प्रदर्श 2, सत्य फोटो प्रति जमाबन्दी ग्राम भाडी खाता सं० 67/60 सम्वत् 2071-74 प्रदर्श 3, सत्य फोटो प्रति जमाबन्दी खतौनी ग्राम भाडी सम्वत् 2059 प्रदर्श 4, 5, 6, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 7, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि पहले वादी के दादा अमीलाल वल्द हरद्वारी की खातेदारी हुआ करती थी अमीलाल के देहान्त होने पर उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 दयाराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन प्राप्त हुई थी वाद भूमि वादी की दादालाई होने के कारण उसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद कृषि भूमि को दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने सत्य फोटो प्रति जमाबन्दी खतौनी ग्राम भाडी सम्वत् 2059 प्रदर्श 4, 5, 6 की प्रस्तुत की है जिनमें वाद भूमि वादी के दादा अमीलाल वल्द हरद्वारी के नाम दर्ज है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 में दयाराम के वारिसान में पत्नि राजकला, एक पुत्र संजय लावल्द कुवारा फौत होना व एक पुत्र विकास मौजूद होना इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।


अतः : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के वर्तमान खाता सं० 26/22 के खसरा सं० 728 की 6.755 है० बारानी व खसरा सं० 738 की 7.704 है० बारानी कुल 14.459 है० बारानी कृषि भूमि में 1/24 हिस्सा प्रतिवादी दयाराम के नाम खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार रोही मौजा भाडी के वर्तमान खाता सं० 55/49 के खसरा सं० 64 की 1.518 है०, खसरा सं० 69 की 1.126 है० खसरा सं० 328 की 2.834 है० खसरा सं० 522 की 3.770 है० खसरा सं० 568 की 1.265 है० खसरा सं० 630 की 7.337 है० खसरा सं० 640 की 6.451 है० कुल कित्ता 7 की 24.301 है० बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी दयाराम के नाम 2.884 है० में 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा भाडी के वर्तमान खाता सं०


सहायक कलक्टर
(फारट ट्रेक) भादरा (हनु.)

67/60 के खसरा सं० 126 की 10.436 है०, खसरा नं० 127 की 0.531 है०, खसरा सं० 195 की 2.277 है० खसरा सं० 196 की 7.641 है० खसरा सं० 425 की 3.757 है०, खसरा सं० 477 की 4.782 है० कुल कित्ता 6 की 29.424 है० बाराणी कृषि भूमि खातेदारी प्रतिवादी दयाराम के नाम से 1/12 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अलेके प्रतिवादी सं० 1 दयाराम के बजाय वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 दोनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2/11/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़